बिहार में पेपर लीक होने से रोकने के लिये विधेयक पारित हुआ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार विधानसभा ने [बिहार लोक परीक्षा (PE) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024] पारित किया जिसका उद्देश्य राज्य में **सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाना है।**

मुख्य बिंदु

- इस कानून के तहत सभी अपराध **संज्ञेय** और **गैर-ज़मानती** होंगे।
- इसमें पेपर लीक, **फर्ज़ी वेबसाइट** का इस्तेमाल और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत जैसे अनुचित साधनों से जुड़े विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया है।
- विधेयक में **तीन से पाँच वर्ष का कारावास** और **10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान** है।
- अगर कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था हो या निजी एजेंसी, गलत काम करता है, तो उस पर **एक करोड़ रुपए का जुर्माना और चार वर्ष के लिये उसकी सेवाएँ समाप्त** कर दी जाएगी।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024

- यह विधेयक **केंद्र सरकार** द्वारा पारित किया गया था जिसका उद्देश्य सरकारी भर्ती **परीक्षाओं** में कदाचार की समस्या का समाधान करना था। **यह 21 जून, 2024 को लागू हुआ।**
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - इसमें अनुचित साधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया है, जैसे- पेपर लीक, **फर्ज़ी वेबसाइटों का उपयोग तथा सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत।**
  - इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, **जिसमें न्यूनतम 3-5 वर्ष का कारावास अवधि** और **1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना** शामिल है।
  - इसमें परीक्षा संचालन के लिये नियुक्त **सेवा प्रदाताओं** पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तथा सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
  - यह अधिनियम **पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त** के पद से नीचे के **पुलिस अधिकारियों** को अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है।
  - इसमें UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं सहित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ शामिल होंगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-passes-bill-to-prevent-paper-leaks